



उदयपुर में आयोजित राज्य जल मंत्रियों के दूसरे अखिल भारतीय सम्मेलन में केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जल कलश सेरेमनी में प्रतिरूपी घड़ों में पानी भरा।

## ‘हमें जल संरक्षण से जल आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ना है’

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उदयपुर में राज्यों के जल मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित किया

उदयपुर, 18 फरवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमें जल संरक्षण के उपायों को अपनाकर जल-आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर होना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य प्रदान किया जा सके। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को उदयपुर कोडियात स्थित एक रिसोर्ट में आयोजित राज्य जल मंत्रियों के दूसरे अखिल भारतीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था में जल राज्यों का एक विषय है, लेकिन प्रधानमंत्री के अथक प्रयासों से जल राज्यों के बीच समन्वय एवं सहयोग का विषय बन गया है। शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने में जल आत्मनिर्भरता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सम्मेलन में केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि हमें जल

■ उन्होंने कहा कि संविधान में जल राज्यों का विषय है, लेकिन प्रधानमंत्री के प्रयासों से जल राज्यों के बीच समन्वय एवं सहयोग का विषय बन गया है।

■ केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने कहा कि रामजल सेतु परियोजना के तहत राजस्थान को ज्यादा पानी मिलेगा। यमुना जल समझौते से यमुना का सरप्लस वॉटर राजस्थान में आ पायेगा।

प्रधानमंत्री अटल बिहारी ने कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध होगा, जो पानी के लिए होगा। मैं मानता हूँ कि तीसरा विश्व युद्ध अगर पानी के लिए हुआ तो भारत उसमें कहीं नहीं होगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पानी का प्रबंध विश्व युद्ध के पहले देश में करेंगे। इसमें हम सबको भी योगदान देना होगा। हम बात सुनकर बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। हम सब मिलकर संकल्प के साथ काम करेंगे तो परिणाम आएगा।

केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री

सी.आर. पाटिल ने कहा कि रामजल सेतु परियोजना (संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना) के तहत राजस्थान को ज्यादा पानी मिलेगा। परियोजना के तहत, आने वाले समय में राजस्थान को बड़ी मात्रा में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। उन्होंने कहा कि यमुना जल समझौते के तहत भी राजस्थान तथा हरियाणा राज्यों के त्वरित निर्णय से यमुना का सरप्लस वॉटर राजस्थान में आना संभव हो पाएगा।

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि ओडिशा में होकर

महानदी, गोदावरी, नर्मदा जैसे बड़ी नदियाँ बहती हैं, जो जल संरक्षण के प्रति हमारी जिम्मेदारी को बढ़ाती है।

कार्यक्रम में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार, हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरूण साव, केन्द्रीय सचिव, जल संसाधन देवाश्री मुखर्जी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जल कलश सेरेमनी में सहभागिता की। साथ ही, उन्होंने नारी शक्ति से जल शक्ति, मोनोग्राफ वाटर हैरिटेज साइट ऑफ इंडिया, जल जीवन मिशन ब्रेकिंग द सोशल बेरिपर का ई.लॉन्च तथा जल संचय जनभागीदारी फिक्म तथा गीत का ई.लॉन्च किया।

कार्यक्रम में केन्द्रीय जल शक्ति राज्यमंत्री राजभूषण चौधरी, जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल, विभिन्न राज्यों के जल संसाधन मंत्री, वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद थे।

### ‘महाकुंभ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

(भगदड़ की) घटना में इतने लोग मर गये, लेकिन सरकार उनकी सही संख्या के आँकड़े जारी नहीं कर रही है। सरकार ने इस आयोजन का इतना ज्यादा प्रचार-प्रसार और विज्ञापन तो किया, लेकिन कुंभ स्थल पर समुचित व्यवस्थाएँ नहीं कीं।” बनर्जी ने इस भावदंड में मरे पश्चिम बंगाल के निवासियों की दुर्दशा भी बताई तथा आरोप लगाया कि उनके शव समुचित “डॉक्यूमेंटेशन” के बिना ही भेज दिये गये, जिसके कारण परिजनों को मुआवजा प्राप्त करने में बहुत मुश्किलें आईं। उन्होंने कहा, “हमने मृतकों का पोस्टमार्टम करवाया, जिससे उनके परिजनों को मृत्यु प्रमाण पत्र मिलना सुनिश्चित हो सके।”

मुख्यमंत्री ने महाकुंभ में “वीआईपी संस्कृति” में भी कड़े प्रहार किये। बनर्जी ने कहा, “आम लोगों की अस्वविधा का ध्यान रखते हुये, मैं पवित्र डुबकी लगाने के लिये नहीं गई, क्योंकि कुंभ में वीआईपी वर्ग के लिये विशेष व्यवस्थाएँ थीं।”

उन्होंने यह भी कहा कि भगदड़ की घटना के बाद, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई जाँच-समिति गठित नहीं की, जबकि, इसके उदर, पश्चिम बंगाल में ऐसी दुर्घटनाओं के बाद जाँच समितियाँ गठित की जाती हैं। विपक्ष के नेता सुबेन्दु अधिकारी के नेतृत्व में, राज्य भाजपा ने बनर्जी के बयानों की निंदा की है तथा कहा है कि इस आयोजन का ऐसा अपमान बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

ममता बनर्जी के भाषण के बाद, भाजपा विधायकों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की। उस समय, वे भगवा पगड़ी पहने हुये थे। भाजपा विधायकों ने बनर्जी पर “हिन्दू-विरोधी मुख्यमंत्री” होने का आरोप लगाया तथा कहा कि भारत की जनता महाकुंभ का कथित अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी।

### गुजरात निकाय ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उन्होंने कहा यह विकास की राजनीति की एक और बड़ी जीत है। कांग्रेस मात्र एक नगरपालिका जीतने में सफल हो सकी। आम आदमी पार्टी का खाता तक नहीं खुला। गुजरात के निकाय चुनाव में कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का रहा। सपा ने यहां दो 2 नगर पालिकाओं पर कब्जा जमाया। इससे अलावा, 3 नगर पालिकाओं में टाई की स्थिति रही। एक में निर्दलीय ने बाजी मारी तो 1 नगर पालिका में किसी को बहुमत नहीं मिला।

## मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई

अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह किया था कि इन याचिकाओं की प्राथमिकता से सुनवाई हो

नयी दिल्ली, 18 फरवरी। केंद्र सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, वर्ष 2023 के जिस नए कानून पर भरोसा जताते हुए की है, उस कानून की वैधता को चुनौती देने वाली विचारधाराधीन याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय बुधवार को प्राथमिकता से सुनवाई कर सकता है।

न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति एन कोटिस्वर सिंह की पीठ के समक्ष मंगलवार को गुहार लगाते हुए एनजीओ, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (ए.डी.आर.) की ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सुनवाई करने के लिए दलीलें दीं। उन्होंने दलील दी कि याचिका पर बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय में विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि यह हमारे लोकतंत्र के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सर्वोच्च प्राथमिकता से विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने दलील देते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कथित रूप से अनूप बरनवाल मामले में संविधान पीठ के फैसले का मजाक उड़ा रही है। उन्होंने कहा, नए अधिनियम 2023 को हमने और कई अन्य लोगों ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी है और यह विचारधीन है। केंद्र सरकार ने नए 2023 अधिनियम पर भरोसा करते हुए सोमवार 17 फरवरी 2025 को ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया।

हालांकि, पीठ ने अधिवक्ता प्रशांत भूषण से बुधवार को मामले का उल्लेख करने को कहा। इसने यह भी बताया कि न्यायालय ने पहले 2023 कानून के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की याचिका को अस्वीकार कर दिया था। इस पर भूषण ने कहा कि मामले को आइटम नंबर 41 के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, इसलिए इसे तब सुनवाई

■ प्रशांत भूषण ने कहा कि 2023 के नए अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं, दूसरी ओर उसी अधिनियम पर केन्द्र सरकार ने सोमवार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया।

के लिए नहीं लिया जा सकता है।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि 2023 के इस कानून ने शीर्ष न्यायालय के पिछले फैसले को प्रभावी रूप से कमजोर कर दिया है, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) से मिलकर एक स्वतंत्र चयन पैनल का गठन अनिवार्य किया गया था। इसके बजाय, नए कानून ने सीजेआई की जगह एक केंद्रीय मंत्री को नियुक्त किया, जिससे चुनाव आयोग पर कार्यकारी प्रभुत्व के बारे में चिंताएँ पैदा हुईं। केंद्र ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 को दिसंबर 2023 में अधिनियमित किया। नए कानून ने सीईसी और ईसी के चयन के उद्देश्य से गठित किए जाने वाले पैनल में भारत के मुख्य न्यायाधीश की जगह एक मंत्री को नियुक्त किया है।

### ‘मुस्लिम ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भाजपा की आई टी सैल के प्रमुख “अमित मालवीय ने एक्स पर कांग्रेस सरकार के फैसले की आलोचना की और कहा कि हिंदू जब नवरात्रि में व्रत रखते हैं तब उन्हें तो ऐसी छूट नहीं दी जाती।”

### क्या अपने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

असंभव होगा। अमेरिका अपने समीकरणों, कूटनीतिक लक्ष्यों के कारण युद्ध खत्म करने का समझौता करने के लिए किसी भी हद तक जाने पर आमदा है। एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अमेरिका यूक्रेन में मिलने वाले विशाल अग्रयुक्त संसाधनों को हारिल करने के इच्छुक है, और युद्ध का अंत इसे इन अग्रयुक्त खनिजों और संसाधनों पर कब्जा करने का अवसर देगा।

संयुक्त राज्य अमेरिका का वार्ता की मेज पर आने का अंतर्निहित उद्देश्य मुख्य रूप से अमेरिका और रूस के बीच अवरुद्ध संवाद और कूटनीतिक चैनलों को फिर से खोलना है। वार्ता की शुरुआत में अमेरिकी प्रतिनिधियों ने कहा कि यूक्रेन युद्ध का अंत रूस और अमेरिका के बीच सहयोग और साझेदारी के विशाल अवसर खोल सकता है। दोनों देशों के लिए वैश्विक स्तर पर कई “भूराजनीतिक” अवसर पैदा हो सकते हैं।

यह सभी घटनाएँ यूरोपियन यूनियन को साथ लिए बिना हो रही हैं। यहाँ तक कि यूनाइटेड किंगडम भी अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा है।

हालांकि, द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से ब्रिटेन हमेशा से अमेरिका के साथ विशिष्ट संबंधों का दावा करता रहा है। कई ईयू कमिश्नर्स ने कहा कि यूरोपियन यूनियन वार्ताओं में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने की कोशिश कर रहा है।

### तेज रफ्तार...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सोमवार को थी। इसमें शामिल होने के लिए भवानीपुर गांव से उनके ससुराल पक्ष के लोग भी आए थे। आज सुबह सभी भवानीपुर लौटने के लिए लोडिंग आहलोगी में बैठ रहे थे। उनकी छोड़ने आए लोग भी वहीं खड़े थे। इसी दौरान डंपर ने टक्कर मार दी।

नई दिल्ली, 18 फरवरी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि ऑनलाइन सामग्री को लेकर कानून में खाली जगह है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि यूट्यूब जैसे मंचों पर हर तरह की चीजें चल रही हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिस्वर सिंह की बेंच ने एक यूट्यूबवर से जुड़े मामले का जिक्र करते हुए यह टिप्पणी। इस मामले में केंद्र भी एक पक्ष था। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, “हर तरह की चीजें चल रही हैं। ये यूट्यूबवर और उनके कार्यक्रम...इसको लेकर कुछ करना होगा और हम करेंगे। हम इसे इस तरह नहीं छोड़ने वाले हैं। हमने (रणवीर अल्लाहबादिया मामले में) नोटिस जारी किया है। हम कुछ करना चाहते हैं।”

जस्टिस सूर्यकांत के मुताबिक, इस क्षेत्र में नियमों की कमी दिखाई दे रही है और कथित यूट्यूबवर मंडल द्वारा इस का गलत इस्तेमाल चिंता का विषय है। बेंच ने इससे पहले दोपहर में रणवीर अल्लाहबादिया को उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में गिरफ्तारी से राहत दी थी।

## रेलवे पुलिस ने कहा, प्लेटफॉर्म बदलने से मची अफरातफरी और उससे हादसा हुआ

आरपीएफ चौकी नई दिल्ली के प्रभारी निरीक्षक ने वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त को विस्तृत सौंपी

नयी दिल्ली, 18 फरवरी। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने गत शनिवार को नई दिल्ली स्टेशन पर हुई भगदड़ को लेकर अपनी रिपोर्ट में कहा है कि स्टेशन पर प्रयागराज के लिए चलने वाली विशेष ट्रेन के प्लेटफॉर्म में परिवर्तन की घोषणा के बाद अफरातफरी में फुटओवर ब्रिज पर लोगों में धक्का-मुक्की के बाद यात्री एक दूसरे पर गिरने लगे, जिससे 20 यात्रियों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए। आरपीएफ चौकी नई दिल्ली के प्रभारी निरीक्षक द्वारा वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त (समन्वय) को रिवार को सौंपी गई रिपोर्ट में विस्तार से घटना की जानकारी दी गई। हालांकि, हादसों की संख्या के बारे में रेल अधिकारियों और आरपीएफ रिपोर्ट के दावे अलग-अलग हैं। रिपोर्ट में प्रभारी निरीक्षक ने लिखा है कि दिनांक

15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 12 से गाड़ी संख्या 12560 शिवगंगा के प्रस्थान होने के बाद अचानक से स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगी जिससे फुटओवर ब्रिज 2 और 3 चोक हो गए तथा प्लेटफॉर्म 12-13, 14-15 एवं 16 पर जाम की स्थिति पैदा हो गयी। मौके पर ही सहायक सुरक्षा आयुक्त (नई दिल्ली) फुटओवर ब्रिज 2 पर आये और भीड़ का आंकलन कर स्टेशन डायरेक्टर को और अधिक टिकट बेचने से मना किया और अधिक भीड़ होने का अंदेश जताते हुए संतर्कता बरतने के लिए कहा गया। इसी दौरान

■ आरपीएफ के सहायक सुरक्षा आयुक्त ने भीड़ का आंकलन कर स्टेशन मास्टर को और टिकट बेचने से मना किया।

कहा गया है कि जब रेलवे सुरक्षा बल द्वारा फुटओवर ब्रिज 2 और 3 को बिलयर करवाने का प्रयास किया जा रहा था उसी दौरान समय करीब 20:45 बजे उद्घोषणा हुई कि प्रयागराज को जाने वाली कुम्भ स्पेशल प्लेटफॉर्म 12 से जाएगी लेकिन उसके कुछ समय बाद स्टेशन पर दोबारा उद्घोषणा की गई कि कुम्भ स्पेशल प्लेटफॉर्म 16 से जाएगी जिसके चलते यात्रियों में भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गयी

सहायक सुरक्षा आयुक्त (नई दिल्ली) स्वयं फुटओवर ब्रिज 3 पर पहुंचे और स्टॉफ के साथ मिलकर फुटओवर ब्रिज 3 को बिलयर करने का प्रयास किया। रिपोर्ट में बताया गया है कि जब रेलवे सुरक्षा बल द्वारा फुटओवर ब्रिज 2 और 3 पर चढ़ने का प्रयास करने लगे तथा गाड़ी संख्या 20802 मगध एक्सप्रेस, 12445 उत्तर सम्पर्क क्रांति तथा 12418 प्रयागराज एक्सप्रेस के यात्रियों की भीड़ प्लेटफॉर्म 14 पर मौजूद होने के कारण यात्रियों का आवागमन रुक गया था। उक्त उद्घोषणा सुनने के बाद यात्री प्लेटफॉर्म -12-13 एवं 14-15 से सीढ़ी के रास्ते फुटओवर ब्रिज 2 और 3 पर चढ़ने का प्रयास करने लगे तथा गाड़ी संख्या 20802 मगध एक्सप्रेस, 12445 उत्तर सम्पर्क क्रांति तथा 12418 प्रयागराज एक्सप्रेस के यात्री जो सीढ़ी यों से नीचे उतर रहे थे इन सबके बीच धक्का-मुक्की के दौरान कुछ यात्री सीढ़ी यों पर फिसल कर गिरकर घायल हो गये जिनके ऊपर से अन्य यात्री गुजरने लगे।

जबकि उस समय प्लेटफॉर्म 14 पर गाड़ी संख्या 12445 उत्तर सम्पर्क क्रांति खड़ी थी तथा गाड़ी संख्या 12418 प्रयागराज एक्सप्रेस के यात्रियों की भीड़ प्लेटफॉर्म 14 पर मौजूद होने के कारण यात्रियों का आवागमन रुक गया था। उक्त उद्घोषणा सुनने के बाद यात्री प्लेटफॉर्म -12-13 एवं 14-15 से सीढ़ी के रास्ते फुटओवर ब्रिज 2 और 3 पर चढ़ने का प्रयास करने लगे तथा गाड़ी संख्या 20802 मगध एक्सप्रेस, 12445 उत्तर सम्पर्क क्रांति तथा 12418 प्रयागराज एक्सप्रेस के यात्री जो सीढ़ी यों से नीचे उतर रहे थे इन सबके बीच धक्का-मुक्की के दौरान कुछ यात्री सीढ़ी यों पर फिसल कर गिरकर घायल हो गये जिनके ऊपर से अन्य यात्री गुजरने लगे।

## एस.आई. भर्ती परीक्षा पेपरलीक मामले में राज्य सरकार की अंतरिम रोक हटाने की मांग अनसुनी की हाईकोर्ट ने

अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि परीक्षा रद्द करने के मुद्दे पर फैसला शीघ्र लें

-यादवेंद्र शर्मा-

जयपुर, 18 फरवरी। राजस्थान हाईकोर्ट में एसआई भर्ती-2022 पेपर लीक मामले पर सुनवाई जारी रहा, और राज्य सरकार ने भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं करने के सम्बन्ध में तर्क-वितर्क करना जारी रखा। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि अगर राज्य सरकार यह मानते हुए कार्यवाही करती है कि सभी अभ्यर्थियों ने पेपर लीक से अवांछित फायदा लिया था, तो कानून के अनुसार राजस्थान पुलिस सर्विस रूल्स, 1989, की धारा 15 के तहत, जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया था, वे सभी अभ्यर्थी अन्य किसी भी सरकारी परीक्षा में बैठ नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर अदालत परीक्षा को याचिकाकर्ताओं के अनुरोध

■ अदालत ने कहा कि वह उक्त परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को फील्ड पोरिंग देने पर लगाई गई अंतरिम रोक नहीं हटाएगी व सुनवाई जारी रखेगी।

पर खारिज करती है तो पूरी जांच ना होने के कारण परीक्षा में पुनः पेपरलीक होने का खतरा रहेगा। वहीं, अदालत की ओर से मीखिक टिप्पणी में कहा गया कि पेपरलीक परीक्षा से 35 दिन पूर्व ही हो गया था, इससे ऐसे में यह आंकलन करना कि पूरी परीक्षा ही प्रभावित थी, गलत नहीं होगा। अदालत ने राज्य सरकार को बुधवार को बहस जारी रखने को कहा है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने ये आदेश कैलाश चन्द्र शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए

दिए। सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत को बताया कि मामले में जांच जारी है और अभी तक पूरी तरह से यह पता नहीं चला है कि पेपर लीक में अन्य और कौन-कौन शामिल है। वहीं, मामले में उच्च स्तर पर मंथन चल रहा है। महाधिवक्ता और अन्य की राय मानना राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी भी नहीं है। वहीं अदालती रोक के चलते, राज्य सरकार दिशियों पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है।

इस पर अदालत ने कहा कि वे तीन माह का टाइम ले लें, लेकिन भर्ती रद्द करने को लेकर ठोस जवाब दें। एएजी ने कहा कि अदालती रोक के चलते कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में अदालत को रोक हटानी चाहिए।

एएजी की ओर से यह भी कहा गया कि हम आरोपियों पर कार्रवाई चाहते हैं। पूरी भर्ती रद्द होने से, जिससे अपराध नहीं किया, वह भी अपराधी माना जाएगा। अदालती समय पूरा होने पर अदालत ने मामले की सुनवाई बुधवार को जारी रखने को कहा और अंतरिम रोक हटाने की मांग को स्वीकार नहीं किया। उल्लेखनीय है कि अदालत ने चयनित अभ्यर्थियों को फील्ड-पोर्टिंग पर अंतरिम रोक लगाने के आदेश पहले ही दे रखे हैं।

### एचएआई ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जमीन पर है और उसे एनएचएआई ही हटाएगा। सुनवाई के दौरान एनएचएआई की ओर से रिपोर्ट पेश कर कहा गया कि बगुरु तक कुल 338 अतिक्रमण पाए गए हैं। कुछ अतिक्रमण हटाए गए हैं और शेष को नोटिस देकर हटाया जाएगा। जनहित याचिका में अधिवक्ता कमलेश रोज ने अदालत को बताया कि जयपुर-अजमेर हाइवे पर बन रहे पुल का निर्माण समय पर नहीं हुआ है, जिसके चलते हाइवे पर जगह-जगह घंटों तक जाम लगा रहता है। इसलिए एनएचएआई और जेडीए सहित अन्य विभागों को यहां से अतिक्रमण हटाकर जल्दी निर्माण करे और यातायात सुचारू करने के निर्देश दिए जाएं।

### नयी दिल्ली, 18 फरवरी।

लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया है कि उन्होंने आधी रात को नये मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर सबको चौंकाया ही नहीं है बल्कि संवैधानिक कदम उठाकर असम्भव होने का भी परिचय दिया है। गांधी ने मंगलवार को सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए सोमवार को हुई बैठक में अपनी असहमति यह कहते हुए व्यक्त की थी कि समिति से देश के मुख्य न्यायाधीश को हटाना गलत है और उनकी जगह गृहमंत्री अमित शाह को समिति में रखना अनुचित है। यह मामला न्यायालय में है और बुधवार को इस बारे में उच्चतम न्यायालय को फैसला देना है इसलिए

## ‘आधी रात को मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करना असम्भवता है’

विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, उनकी असहमति पर ध्यान दिये बिना नियुक्ति की गई

नयी दिल्ली, 18 फरवरी। लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया है कि उन्होंने आधी रात को नये मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर सबको चौंकाया ही नहीं है

बल्कि संवैधानिक कदम उठाकर असम्भव होने का भी परिचय दिया है। गांधी ने मंगलवार को सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए सोमवार को हुई बैठक में अपनी असहमति यह कहते हुए व्यक्त की थी कि समिति से देश के मुख्य न्यायाधीश को हटाना गलत है और उनकी जगह गृहमंत्री अमित शाह को समिति में रखना अनुचित है। यह मामला न्यायालय में है और बुधवार को इस बारे में उच्चतम न्यायालय को फैसला देना है इसलिए

■ राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने देश के मुख्य न्यायाधीश को हटाकर गृह मंत्री अमित शाह को सदस्य बनाने पर आपत्ति की थी तथा सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने तक मुद्दे को स्थगित करने का आग्रह किया था।

इस मुद्दे को 19 फरवरी तक स्थगित किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने उनकी असहमति पर ध्यान दिए बिना आधी रात को नये चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी, इस कदम को सभ्य नहीं कहा जा सकता है। उन्होंने कहा अगले चुनाव आयुक्त का चयन करने के लिए समिति की बैठक के दौरान मैंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को एक असहमति नोट प्रस्तुत किया जिसमें कहा गया है कि एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का सबसे बुनियादी पहलू चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने की

प्रक्रिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करके और भारत के मुख्य न्यायाधीश को समिति से हटाकर सरकार ने चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर करोड़ों मतदाताओं की चिंता को बढ़ा दिया है।

गांधी ने लिखा, नेता प्रतिपक्ष के रूप में यह मेरा कर्तव्य है कि मैं बाबा साहेब अम्बेडकर और हमारे देश के संस्थापक नेताओं के आदर्शों को कायम रखूँ और सरकार को जिम्मेदार ठहराऊँ। नयी सीईसी का चयन करने के लिए आधी रात को निर्णय लेना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए अपमानजनक और असम्भव दोनों हैं, जब समिति की संरचना और प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही है, ऐसे में जबकि, अदालतीस चढ़े से भी कम समय में सुनवाई होनी है।

### 4340 करोड़...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) में 83.85 प्रतिशत वृद्धि दर्शाई गई है। उसकी आय 2022-23 में 2360.844 करोड़ रूपए थी, जो बढ़कर 2023-24 में 4340.473 करोड़ रूपए हो गई। कांग्रेस की आय में भी लगभग 170 प्रतिशत की बढ़त दर्शाई गई है। 2022-23 में 1225.119 करोड़ रूपए हो गई। राष्ट्रीय राजनैतिक दलों की सर्वोच्च आय दान एवं चर्चे से हुई दिखाई गई है। रिपोर्ट कहती है कि तीन राष्ट्रीय दल- भाजपा, कांग्रेस तथा आप ने 2023-24 में कुल आय का 43 प्रतिशत भाग इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त दान से एकत्रित किया है।

### सत्येन्द्र जैन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) आधार पर जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति से अनुरोध किया था। बता दें कि जांच एजेंसी ने कथित हवाला लेनदेन से जुड़े मनी-लाँड्रॉन्ग मामले में जैन पर मामला दर्ज किया था।